## <u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक : 513 / 12

संस्थापन दिनांक : 13.07.2012

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड म.प्र.

- अभियोजन

## बनाम

1-रामचन्द पुत्र अतरसिंह तौमर उम्र 32 साल निवासी ग्राम तुकेंड़ा थाना मालनपुर जिला भिण्ड

– अभियुक्त

## <u>निर्णय</u>

( आज दिनांक......को घोषित

- 1. उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधारा धारा 337 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 279, 304ए के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 12.06.12 को शाम 6 बजे के करीब सौंधा मोड़ के पास हाईवे रोड़ बिरखड़ी लोकमार्ग पर वाहन बस कमांक एम0पी0—30—पी.—0755 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा फरियादी अशोकिसंह अ0सा03 की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उस पर सवार सुल्तानिसंह की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 12.06.12 को शाम 6 बजे फरियादी अशोकिसेंह अ0सा01 का चचेरा भाई सुल्तान व रिव अ0सा01 मोटरसाइकिल डिस्कवर क्रमांक एम0पी0—04—ए.जे.4974 पर बैठकर शादी में गांव सर्वा जा रहे थे तब सौंधा मोड़ के पास जब पेट्रोल लेने के लिए वह मुड़े तो पीछे से बस क्रमांक एम0पी0—30—पी.0755 का चालक बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी टक्कर लगने से सुल्तान व रिव दोनों गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गये घटना के समय अमरिसंह जाटव मौके पर मौजूद था उसने अशोकिसेंह अ0सा01 व दिनेश अ0सा04

को फोन लगाया तब वे लोग मौके पर पहुंचे और दोनों की गंभीर हालत देखकर सीधे गोहद अस्पताल पहुंचे इलाज शुरू होते ही अस्पताल में सुल्तान की मौत हो गयी व रवि अ0सा01 को छाती व बखौरा में चोट आई थी। तत्पश्चात फरियादी अशोकसिंह अ0सा01 ने थाना गोहद चौराहा में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी—2 दर्ज कराई जिस पर से आरोपी के विरुद्ध अप0क0 112/12 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।

- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :--
  - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 12.06.12 को शाम 6 बजे के करीब सौंधा मोड़ के पास हाईवे रोड बिरखड़ी लोकमार्ग पर वाहन बस कमांक एम0पी0—30—पी.—0755 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
  - 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी अशोकसिंह अ0सा03 की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उस पर सवार सुल्तानसिंह की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?

## / / विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ एवं ०२ का सकारण निष्कर्ष / /

- साक्षी फरियादी अशोक अ०सा०३ ने कथन किया है कि दिनांक 11.07. 5. 14 से दो साल पूर्व उसका चचेरा भाई सुल्तानसिंह व रवि अ०सा०1 मोटरसाइकिल से ग्राम सर्वा जा रहे थे। तब एक गाडी चालक ने सौंधा मोड के पास उन्हें टक्कर मार दी जिससे सुल्तान व रवि को चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए गोहद ले आये थे। सुल्तानसिंह की मृत्यु हो गयी थी। उसने घटना की रिपोर्ट की थी देहाती नालिसी प्र0पी–3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामीका प्र0पी-4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि बस क्रमांक एम0पी0-30-पी.0755 के चालक ने बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी और रिपोर्ट प्र0पी-3 व कथन प्र0पी—5 में भी बस नंबर एम0पी0—30—पी.—0755 के चालक द्वारा दुर्घटना कारित करने के तथ्य लिखाये जाने से इंकार किया है और प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने साक्ष्य के दौरान उपस्थित आरोपी अशोक द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने से इंकार किया है और स्वीकार किया है कि दुर्घटना उसके सामने घटित नहीं हुई। अतः फरियादी घटना का प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है परन्तु देहाती नालिसी प्र0पी-3 के अनुसार भी उसने बस नंबर एम0पी0–30–पी.–0755 से दुर्घटना होने के तथ्य से इंकार किया है।
- 6. आहत रिव अ०सा०१ ने कथन किया है कि दिनांक २७.०५.१४ से दो वर्ष पूर्व सुल्तानसिंह और वह मोटरसाइकिल से बिरखडी से सर्वा जा रहे थे। तब भिण्ड की तरफ से बस आ रही थी जिसने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे उसके व सुल्तानसिंह के चोटें आईं और सुल्तानसिंह की मृत्यु हो गयी। बस कौन

चला रहा था वह नहीं देख पाया। व बस का क्या नंबर था वह नहीं देख पाया। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षिवरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि बस क्मांक एम0पी0—30—पी.—0755 के चालक ने बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी—1 में भी दिए जाने से इंकार किया है। इस साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी रामचन्द ने बस को तेजी व लापरवाही से चलाया था। अतः आहत रिव अ०सा०1 ने प्रत्यक्ष साक्षी होते हुए भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

दिनेश अ0सा04 अभियोजन मामले में प्रत्यक्ष साक्षी उल्लिखित नहीं है। उसने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन किया है कि उसके सामने एक्सीडेन्ट नहीं हुआ उसे फोन पर एक्सीडेन्ट की सूचना प्राप्त हुई थी दिनांक 14.08.14 से एक वर्ष पूर्व सुल्तानसिंह की एक्सीडेन्ट में मृत्यु हो गयी थी। उसके समक्ष एक्सीडेन्ट नहीं हुआ इसलिए वह नहीं बता सकता कि एक्सीडेन्ट किस वाहन से हुआ और न ही वह चालक को पहचानता है। सफीना फार्म प्र0पी—3 व नक्शा पंचातयनामा प्र0पी—7 पर इस साक्षी ने हस्ताक्षर स्वीकार कर साबित किया है। परन्तु पुलिस कथन प्र0पी—8 में इस साक्षी ने तथ्य लिखाने से इंकार किया है कि बस क्मांक एम0पी0—30—पी.—0755 के चालक ने बस को तेजी व लारवाही से चलाकर मोटरसाइकिल में टक्कर मारी थी। अतः इस साक्षी ने बस नंबर एम0पी0—30—पी.—0755 के द्वारा दुर्घटना कारित होने से इंकार किया है।

7.

9.

8. साक्षी राजेन्द्र अ०सा०४ ने कथन किया है कि वह दिनांक 12.06.12 को थाना गोहद चौराहा मे प्र०आरक्षक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को कोकिसंह द्वारा लिखित देहाती नालिसी राजेश सिंह के हस्ते प्राप्त होने पर उसने एफआईआर प्र०पी—2 लेख की थी और एफआईआर प्र०पी—2 पर इस साक्षी ने हस्ताक्षर स्वीकार साबित किया है।

डॉ० एम.के. महेश्वरी अ०सा०५ का कथन है कि वह दिनांक 12.06.12 को बिरला हॉस्पीटल ग्वालियर में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनांक को मेडीकल ऑफीसर द्वारा रैफर किये जाने पर आहत रविदत्त नागर के छाती के दाहिने तरफ, घुटना एवं दाहिनी एड़ी के एक्स-रे लिये गये। एक्स-रे के अवलोकन पर उसने पाया कि आहत के दाहिने एड़ी के टिबिया एवं फिबूला हड्डी पर फैक्चर था। आहत के दांये घुटने में टिबिया हड्डी के बाहरी कुंडाईल हड्डी में फैक्चर था। उसकी एक्स-रे रिपोर्ट प्र०पी-8 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। रविदत्त के संबंध में शमन हो चुका है इसलिए इस साक्षी के कथन विचारणीय प्रश्न पर सुसंगत नहीं है।

10. डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा०६ का कथन है कि वह दिनांक 12.06.12 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को शाम ०६:४० बजे आहत रिव को उसके पिता रामअवतार जाटव इलाज हेतु लाये जिसका मेडीकल परीक्षण करने पर आहत के सूजन दाहिने एंकल ज्वाइंट से फुट तक थी जिसके लिए एक्स—रे की सलाह दी गयी थी तथा खरोंच दाहिनी तरफ छाती पर थी जोिक कांख से लिवर एरिया तक फैली थी जोिक संख्या में चार थी और लगभग समान आकार की थी जिनका आकार 5गुणा5 से.मी. था जिसके

लिए एक्स-रे की सलाह दी गयी थी तथा कटा फटा घाव जोिक कान के पीछे था जिसका आकर 4गुणा3गुणा1.5 से.मी. था तथा कटाफटा घाव जोिक कान के पिन्ना में था जिसका आकार 2गुणा1 से.मी. था। आहत को आई उपरोक्त सभी चोटें कठोर एवं भौंथरी वस्तु से आना प्रतीत होती हैं एवं शून्य से 6 घण्टे के अंदर आना प्रतीत होती हैं। आहत को सांस लेने में छाती में दर्द हो रहा था एवं उसकी सामान्य स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। अतः आहत को तत्काल ग्वालियर रैफर कर दिया था इसलिए आहत का एक्स-रे गोहद में नहीं हो पाया। उसके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी-9 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। रिवदत्त के संबंध में शमन हो चुका है इसलिए इस साक्षी के रिवदत्त के संबंध में दिए कथन विचारणीय प्रश्न पर सुसंगत नहीं है।

रसाक्षी डॉं० धीरज गुप्ता का यह भी अभिवचन है कि दिनांक 13.06.12 को आरक्षक 750 कमलसिंह थाना गोहद चौराहा द्वारा सुल्तानसिंह जोकि एक्सीडेन्ट में मृत हो गया था उसका शव परीक्षण प्रतिवेदन दिया गया जिसमें बाह्य परीक्षण में आहत जोकि लगभग 35 साल का था तथा पोस्टमार्टम रूम में स्पाइन पोजीशन में लेटा हुआ था जिसका मुंह बंद था तथा प्यूपिल पिक्स एवं डाइलिट थी राइगर मोर्टिस उपस्थित थी। मृतक सफेद बनियान एवं सफेद शर्ट स्लेटी चढ्ढी एवं स्लेटी पैन्ट पहने हुए था। तथा मृतक के खरोंच बांये फंटल ऐरिया में थी जिसका आकार 🛂 गुणा२ से.मी. था तथा खरोंच बांयी तरफ चेहरे पर थी जिसका आकर 2गुणा3से. मी. था तथा कटाफटा घाव बांये पैराइटल रीजन में था जिसका आकार 3गुणा1गुणा1 से.मी. था तथा कटाफटा घाव ऑक्सीपिटल रीजन में था जिसका आकार उगुणा1गुणा1 से.मी. था तथा डिफॉरमिटी बांये हिप ज्वाइंट पर थी तथा कटा फटा घाव दाहिने पैर पर नीचे की तरफ था जिसमें हड्डी दिखारही थी। आंतरिक परीक्षण में मृतक के कपाल का परीक्षण करने पर उसमें एक्स्टा ड्यूरल हैम्रेज एवं ऑक्सीपिटल बॉन में फ्रैक्चर था। मृतक के वक्ष एवं उदर स्वस्थ एवं सामान्य थे। मृतक की मृत्यू का कारण हीम्रेजिक शॉक है जोकि मल्टीपल इन्ज्यूरी जो आहत के सिर एवं पैर में थी। मृतक की मृत्यु 6 से 24 घण्टे के अंदर होना प्रतीत होती है। उसके द्वारा तैयार शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी-10 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12. प्रकरण में फरियादी अशोक अ०सा०3 अथवा प्रत्यक्ष साक्षी रिवदत्त अ०सा०1 ने तथा अनुश्रुत साक्षी दिनेश अ०सा०4 ने आरोपी द्वारा बस क्रमांक एम०पी०—30—पी.—0755 को उपेक्षापूर्वक परिचालित कर दुर्घटना कारित किए जाने से इंकार किया है। साक्षी अमरिसंह का पता ज्ञात न होने से अभियोजन उक्त साक्षी को परीक्षित कराने में असमर्थ रहा है। अभियोजन का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर है व किसी प्रत्यक्ष साक्षी ने आरोपी रामचन्द्र द्वारा घटना के समय वाहन चलाये जाने अथवा घटना वाहन क्रमांक एम०पी०—30—पी.—0755 से होने का कथन नहीं किया है। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता हैकि आरोपी ने दिनांक 12.06.12 को शाम 6 बजे के करीब सौंधा मोड़ के पास हाईवे रोड बिरखड़ी लोकमार्ग पर वाहन बस क्रमांक एम०पी०—30—पी.—0755 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा फरियादी अशोकसिंह अ०सा०3 की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उस पर सवार सुल्तानसिंह की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

- 13. परिणामतः आरोपी को धारा २७७, ३०४ए भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 14. आरोपी के जमानत व मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।
- 15. प्रकरण में जप्त वाहन बस कमांक एम0पी0—30—पी.—0755 आवेदक कैलाश की सुपुर्दगी में है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / – (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

ALIMONIA PORTO DE LA PROPOSITIONA PROPOSITIONAL PROPOSITIO